



प्रेस नोट थाना खैरगढ दिनांक 16-01-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना खैरगढ पुलिस टीम द्वारा ग्राम बैरनी निवासी सतेन्द्र की हुई हत्या का 02 घंटे में खुलासा करते हुए मृतक सतेन्द्र की पत्नी व सगे भाँजे सहित कुल 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

➤ दिनांक 14-15/01/205 की रात्रि में मृतक की पत्नी व मृतक के सगे भान्जे द्वारा अवैध प्रेम-प्रसंग के चलते सतेन्द्र की गला दबाकर की गई थी हत्या ।

दिनांक 14-15/01/2025 की रात्रि में थाना खैरगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरनी में एक युवक सतेन्द्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी । सूचना पर तत्काल ही क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी खैरगढ मय पुलिस व फील्ड यूनिट के मौके पर पहुँचे । पुलिस टीम द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया । मृतक के भाई शत्रुघन की तहरीर के आधार पर थाना खैरगढ पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम गोविन्द व मृतक की पत्नी रोशनी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना खैरगढ पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन एवं सुरागरसी पतारसी के आधार पर सतेन्द्र की हत्या करने वाली मृतक की पत्नी रोशनी एवं सगे भाँजे गोविन्द पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी अलीनगर कैंजरा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को दिनांक 15-01-2025 को बनीपुरा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी तथा मृतक के सगे भाँजे अभियुक्त गोविन्द के मध्य पिछले 02 वर्ष से अवैध प्रेम-प्रसंग था जिसके चलते दोनों साथ रहना चाहते थे । दिनांक 14-15/01/2025 की रात्रि को योजना के तहत गोविन्द अपने मामा सतेन्द्र (मृतक) के घर आ गया । रात्रि में सोते समय गोविन्द ने मृतक सतेन्द्र का गला दबाया तथा मृतक की पत्नी ने मृतक के पैर पकड़ लिये । सतेन्द्र की मृत्यु होने के पश्चात गोविन्द रात्रि में ही अपने घर चला गया । दिनांक 15-01-2025 की सुबह मृतक की पत्नी द्वारा पड़ोसियों को रात्रि में अपने पति मृतक सतेन्द्र के सीने में दर्द होने तथा सुबह में सोकर न उठने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी । मृतक सतेन्द्र के गले पर चोट के निशान पाए जाने एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. गोविन्द पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी अलीनगर कैंजरा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
2. रोशनी पत्नी मृतक सतेन्द्र निवासी बैरनी थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 मनोज कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
2. उ0नि महिपाल सिंह थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 सोमिल राठी थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
4. म0उ0नि0 ज्योति तेवतिया थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
5. का0 519 नाहर सिंह थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
6. म0का0 336 चाँदनी थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।